

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/134
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00125
CICOM/R/2018/00342

दिनांक: 21.05.2018

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली - 110001.
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख: 21.05.2018

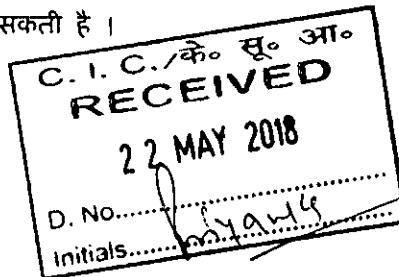
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	02.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	13.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	234/17.05.2018 (131122/16.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पंद्रह बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 27.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 02.05.2018 को No. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/2018/00342 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलकर्ता केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय आकर, संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वांछित सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

QC
Am
22/05/18